JALAUN POLICE

दिनांक – 19.07.2026

कोतवाली जालौन पुलिस टीम द्वारा चोरी करते हुये 02 अभियुक्तगण को एलुमिनियम तार, एक अदद अवैध असलहा मय कारतूस व चोरी करने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया।

अपर पुलिस महानिदेशक महोदया, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के पर्यवेक्षण तथा अपर पुलिस अधीक्षक जालौन के नेतृत्व में दिनांक 18/19.07.2026 की रात्रि को कोतवाली जालौन पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान उरगाव रोड गुढा वाली पुलिया के पास चोरी कर रहे अभियुक्तगण 1. भानू प्रताप पुत्र देवीशरण राठौर निवासी नया पटेल नगर थाना कोतवाली कोंच जिला जालौन व 2. दीपराज पुत्र शिवशंकर निवासी जुगराजपुरा थाना रेढर जिला जालौन को चोरी के एलुमिनियम तार, एक अदद तमन्चा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व चोरी करने के उपकरण(तार कटर, प्लास इत्यादि) के साथ गिरफ्तार किया गया व रात्रि का फायदा उठाते हुये 03 अभियुक्तगण मौके से फरार हो गये।

अभियुक्तगण से बरामदगी के सम्बन्ध में कोतवाली जालौन पर मु0अ0सं0 151/2026 धारा 317(2) बीएनएस व 3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम-1984 व 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली जालौन जिला जालौन पंजीकृत कर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता -

1. भानू प्रताप पुत्र देवीशरण राठौर उम्र करीब 26 वर्ष निवासी नया पटेल नगर कोतवाली कोंच जिला जालौन
2. दीपराज पुत्र शिवशंकर उम्र करीब 21 वर्ष निवासी जुगराजपुरा थाना रेढर जिला जालौन

फरार अभियुक्तगण का नाम पता -

1. शिवम जाटव पुत्र विनोद कुमार जाटव निवासी नया पटेल नगर थाना कोंच जिला जालौन
2. पुष्पेन्द्र उर्फ गुड्डू पुत्र नरेन्द्र जाटव निवासी नया पटेल नगर थाना कोंच जिला जालौन
3. अक्षय कुशवाहा पुत्र ज्ञानेन्द्र सिंह कुशवाहा निवासी नया पटेल नगर थाना कोंच जिला जालौन

बरामदगी का विवरण-

1.45.300 किलोग्राम बिजली का तार (एल्मुनियम)

2. एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

3. एक अदद विधुत तार कटर व एक अदद प्लास

4. दो अदद एन्ड्राइड फोन

5. ओमनी कार रजि0न0 UP 93 AU 3339 (धारा 207 एमवी एक्ट में सीज)

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जालौन मय टीम।